न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 82 / 2015

1. देवीलाल पिता हरिराम जाति धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 वेगूँ
2. नानालाल पिता हरिराम जाति धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 वेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्री उँकार पिता जयचन्द जाति धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 वेगूँ
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय , चितौडगढ़
3. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, वेगूँ
4. श्री अशोक कुमार पिता रामेश्वरलाल जाति धाकड निवासी रामनगर तारापीपली
5. श्री दिनेश कुमार पिता लालूराम जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री भोलेश भट्ट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 26.02.2026

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा ऑवलहेडा पटवार हल्का ऑवलहेडा की वर्तमान आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि लगानी 5.34 रू0 वादीगण के पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य की स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

यह कि उक्त मौजा ऑवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि के भू प्रबंध पूर्व के आराजी संख्या 81 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा होकर भ ूप्रबंध पूर्व तक वादीगण के नाना जोधा वल्द नान जी धाकड ऑवलहेडा के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था।

यह कि उक्त आराजी संख्या 81 को भू प्रबंध के समय भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति एवं आदेश के उन्हें खातेदार के नामो में सिवाय विरासत किसी तरह का रद्दोवदल करने का अधिकार नहीं होते हुए नवीन नम्बर 68 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा बनाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 उँकार व उसके मृतक भाई मांगीलाल के नाम दर्ज कर दी जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत रूप से दर्ज रेकार्ड है।

यह कि वादीगण के नाना (माता के पिता) जोधा जी के दहावसान पश्चात उनकी एक मात्र वारिस पुत्री वादीगण की माता बरजीबाई पत्नी हरिराम रही व बरजीबाई के वारिस हम वादीगण वहैसयित पुत्र बने है। मृतक जोधा जी की अन्य सभी आराजीयात भी वर्तमान में हम वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी संख्या 68 जिसके भू प्रबंध पूर्व के नम्बर 81 थे भी जोधा जी के वाद से ही वादीगण के कब्जे काश्त में अर्सा कदीम से निर्बाध रूप से चली आ रही है, जिसमें दखल करने का प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं है।

यह कि दिनांक 15.06.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्रो ने वादीगण को धमकी देते हुए कहा कि आराजी संख्या 68 हमारे नाम पर दर्ज रेकार्ड है, हमने आज ही रिकोर्ड देखा है जिससे अब तुम उस जमीन पर गत चले जाना हम कब्जा करेगे या अन्य को विक्रय करेगें तो वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर भू प्रबंध विभाग द्वारा की गयी उक्त अवैध कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हुई जिससे वादीगण को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि उक्त आराजी संख्या 68 रकवा 0.785 हैक्टर भूमि वादीगण के अलावा अन्य व्यक्ति का हक दखल नहीं है, आराजी अर्सा कदीम से वादीगण के कब्जे काश्त में होकर भू प्रबंध पूर्व के मृतक खातेदार जोधा जी के वादीगण वारिस होने से वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं होने से वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि बावत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है, इसी कारण वादीगण का यह वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेंधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 15.06.2015 को प्रतिवादी सं0 1 एवं उसके पुत्रो द्वारा वादीगण को भूमि पर से कब्जा छोंड देने एवं भूमि को खुर्द बुर्द कर देने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

यह कि राजस्व आराजीयात की घोषणा में राज्य सरकार एवं भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संख्या 2 व 3 बनाये गये है। राजस्व आराजीयात की घोषणा का वाद अवधि बाधित नहीं होने से वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है :—

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि मौजा ऑवलहेडा पटवार हल्का ऑवलहेडा तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की होकर वादीगण इसे अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है।

(ब) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि मौजा ऑवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि के वादीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं0 1 न तो स्वयं एव न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि के माध्यम से न करावे।

(स) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वादीगण को प्रतिवादी सं0 1 से दिलाया जावें।

(द) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रतिवादी संख्या 1 , 4 व 5 की आरे से जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया है:—

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब में निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त आराजी कभी भी वादीगण की पुश्तैनी आराजी नहीं रही है। वर्तमान में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम पर दर्ज रिकोर्ड होकर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त वर्णित आराजी कभी भी वादीगण के नाना जोधा के नाम पर अंकित नहीं रही है। वादीगण ने गलत कथन अंकित किये है, स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित हैं।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त वाद वर्णित भूमि कभी भी जोधा के नाम अंकित नहीं रही है तो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रद्दोबदल करने का कथन अपने आप में मिथ्या है। वादीगण का कभी भी उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है न ही जोधा या उसके वारिसान का कोई कब्जा वाद वर्णित भूमि पर रहा है।

यह कि वाद पात्र की चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है वाद वर्णित भूमि कभी वादीगण के कब्जे काश्त में नहीं रही है शेष कथन भी गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण का या इनके पूर्वजो का उक्त वाद वर्णित भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही कभी ये खातेदार रहे है तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उन्हें जून 2015 में धमकी देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। शेष कथन भी गलत होकर अस्वीकार है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण ने गलत वाद कारण अंकित किया है। प्रतिवादी ने वादीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी है। गलत वाद कारण अंकित कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 68 रकाब 0.785 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी होकर प्रतिवादी संख्या 1 ही काविज होकर काश्त कर रहा है वादीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है जिससे वादीगण कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा की राहत पाने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 का जवाब है कि वादीगण ने गलत वाद कारण अंकित कर गलत वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण का वाद वर्णित भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तो कब्जा छोड देने की धमकी देने का कथन अपने आप में ही मिथ्या है।

वाद पत्र की चरण संख्या 8, 9, 10 व 11 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

वादपत्र के जवाब में विशेष कथन में अंकित किया है कि उक्त वाद वर्णित आराजी कभी भी जोधा के नाम अंकित नहीं रही है। उक्त वर्णित भूमि भू–प्रबंध से पूर्व प्रतिवादी सं0 1 की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की सम्पत्ति है एवं उसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चल रही थी। वादीगण ने गलत कथन अंकित किये है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि आराजी होकर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को विक्रय की है। विक्रय दिनांक से ही प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वाद वर्णित भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है।

यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद पत्र पेश करना स्वीकार है शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या1 ने वैद्य विक्रय पत्र पंजीयन कराया है।

यह कि हम प्रतिवादीगण ने उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी उँकार पिता जयचन्द कुम्हार से विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर वाद वर्णित आराजी पर कब्जा प्राप्त कर क्रय की है जिससे साबित है कि उकत वर्णित भूमि पर प्रतिवादी उँकार काबिज होकर काश्त कर रहा था एव क्रय दिनांक से ही हम प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि पर काश्त कर रहे है।

वाद पत्र का जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:–

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 अनुसार उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकोर्ड होना स्वीकार है शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। उक्त वर्णित आराजी न तो वादीगण की पुश्तैनी है न ही वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में थी।

यह कि वाद पत्र. की चरण संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त वाद वर्णित कृषि आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी। वाद पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। भू–प्रबंध के समय भू–प्रबंध विभाग ने कोई गलती नहीं की है वादी ने गलत कथन किये है।

यह क वाद पत्र की चरण संख्या 4 वादीगण मृतक जोधा के वारिस है अथवा नहीं वादीगण स्वयं प्रमाणित करें शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है वादीगण का उक्त वर्णित भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी वादीगण को कोई धमकी नहीं दी। वादीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है।

यह क वाद पत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का रिकोर्डेड खातेदार होकर भूमि उसके कब्जे काश्त में थी। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। चरण संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 8, 9, 10, 11 कानूनी होने से जवाब की वश्यकता नहीं है।

अतःश्रीमान आपसे प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमा वादी का वाद सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली में जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2, 3 पैरोकार सरकार की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है, पत्रावली में प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्र पृथक कायम करते हुए शामिल पत्रावली किये गये हैः—

1— आया कि मौजा आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की होकर वादीगण अपने नाम खतोदारी हक से दर्ज करा पाने के अधिकारी है, साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्राप्त कर पाने के वादीगण अधिकारी है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 न तो स्वयं न ही अपने रिश्तेदार, नौकर, ऐजेण्ट आदि से दखलंदाजी न करे न करावे? .....जिम्मे वादी

2— आया कि वाद वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे एवं खाते में होकर वादीगण का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर नहीं रहा है न ही कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है जिससे वादीगण उक्त आराजीयात को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज करा पाने एवं मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अअधिकार नही रखते है? .....प्रतिवादी सं. 1

3— वाद वर्णित आराजी कभी भी जोधा के नाम अंकित नहीं रही है, उक्त वर्णित भूमि भू—प्रबंध से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है, प्रतिवादी संख्या 1 ने हम प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को विक्रय की है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 वाद वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, प्रतिवादी संख्या 1 ने वैद्य विक्रय पत्र पंजियन कराया है वादीगण का वाद पत्र चलने योग्य नहीं है? .....प्रतिवादी सं. 4व5

4— अनुतोष ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर साक्ष्य वादीगण में साक्ष्य शपथ पत्र वादी नानालाल पिता हरिराम जाति धाकड का प्रस्तुत किया गया, मुख्य परीक्षण में वादी नानालाल द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा जिरह में वादी ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वर्तमान मे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार अशोक व दिनेश धाकड है। जोधा पिता नान जी मेरे नाना थे, उनका देहान्त कब हुआ मुझ पता नहीं मै छोटा था 7 या 8 वर्ष का था। यह सही है कि जोध जी के जीते जी वाद वर्णित भूमि उँकार या जयचन्द के नाम चल रही थी। मेरी मां बरजी बाई का निधन हो गया है। करीब 30 से 35 वर्ष पूर्व निधन हो गया है। यह सही है कि बरजीबाई ने उँकार पिता जयचन्द पर कोई दावा नहीं किया। यह मुझे पता नहीं कि उक्त जमीन जयचन्द जी के निधन के बाद मांगीलाल पोखर पिता जयचन्द कुम्हार के नाम दर्ज हुई अजखुद कहा है कि जयचन्द कब शांत हुए मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि मेने जो नकल पेश की उसमे जोधा जी का नाम पातीदार के रूप में लिखा है। प्रदर्श 2 कागज मेने क्या पेश किया मै नही बता सकता क्यो कि मै पढा लिखा नहीं हूँ यह मुझे पता नहीं कि प्रदर्श 2 की अपील उँकार अशोक व दिनेश ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में कर रखी हो। यह मुझे पता नहीं है कि जोधा जी जमीन पाती मे बोते थे। प्रदर्श डी 1 ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर है। वादी ने अपने बयान कलमबद्ध करा साक्ष्य वादी पूर्ण कराई । दावा पत्रावली में वादी साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ प्रतिवादी उँकार पिता जयचंद्र कुम्हार, अशोक कुमार पिता रामेश्वरलाल धाकड व शंभुलाल पिता हरलाल बलाई, शंभुलाल पिता हजारी लाल बलाई के प्रस्तुत किये गये।

मुख्य परीक्षण में प्रतिवादी उँकार के बयान कलमबद्ध कराये गये जिरह में उन्होने बताया कि देवीलाल नानालाल वादीगण के नाना जी का नाम जोधा था। यह सही है कि जोधा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

एक ही लडकी थी जो वादीगण की मां थी । उसके कोई भाई नहीं होने से जोधा जी उसे ही रखा था। यह सही है कि जोधा जी के सभी जगीन जायदाद की मालिक वादीगण बीलाल नानालाल बने । ऑवलहेडा ग्वालियर स्टेट का गांव था लेकिन यह पुरानी बात हो गई। यह कहना सही है कि वाद वर्णित जमीन को बनियानी वाला खेत के नाम से जानते है। यह कहना सही है कि यह खेत नन्दलाल महाजन के गिरवी होने से इसका नाम बनियानी वाला खेत पडा, महाजन तो कदवासा के रहने वाले थे मेरे पिता का नाम जयचन्द था। जयचन्द जी के पास कुल 7 से 8 बीघा जमीन थी। वह 7 से 8 बीघा जमीन हम दो भाईयो के नाम हुई मांगीलाल व उँकार हम दो भाई थे हमारी एक जमीन 4.5 बीघा व एक 3.7 बीघा है। प्रदर्श 7 के बारे में मुझे कुछ ध्यान नहीं मेरा लडका चांदमल ही जाने मुझ तो दस्तखत करने लाये थे यह सही है कि प्रदर्श–7 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी है। यह सही है कि निरस्तगी की मैने कोई अपील नहीं की है जमीन लेने वालो ने की है। यह कहना गलत है कि हमने जमीन की रजिस्ट्री कराई उससे पहले वादीगण ने दावा कर दिया हो बल्कि वाद में किया।

जिरह प्रतिवादी गवाह में गवाह अशोक कुमार पिता रामेश्वर धाकड ने अपने अपने बयान में प्रतिवादी उँकार को जानते है व उनकी जमीन को जरिये रजिस्ट्री से खरीद किये जाने का कथन किया तथा उक्त रजिस्ट्री न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने का कथन करते हुए कहा कि उक्त निर्णय की अपील कर दी है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रतिवादी गवाह शंभुलाल बलाई ने अपने बयान कलम बद्ध करा साक्ष्य प्रतिवादीगण की पूर्ण की गई।

पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वादपत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस वादपत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि जोधा पिता नान जी की भूमि है जिस पर कब्जा काश्त वादीगण का है, भूमि राजस्व रेकार्ड में भू–प्रबंध विभाग ने रद्दोबदल करते समय नवीन आराजी नम्बर 68 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 1 उँकार व उसके मृतक भाई मांगीलाल के नाम दर्ज कर दी, भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का होते हुए प्रतिवादी ने उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दिया। भूमि संवत 2025 से 28 में वादी के नाम थी जो संवत 2028 में जयचंद के नाम हुई है, भूमि पर दिनांक 26.06.2015 को स्थगन होते हुए भी दिनांक 1.07.2015 को भूमि विक्रय कर दी गई। भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। गवाह डी. डब्ल्यू. 5 व 4 अवलोकन फरमावें साक्ष्य एवं शपथ पत्र में अंतर है। भूमि के पंजीकृत विक्रय को सिविल कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया है, जिसकी अपील इत्यादि नहीं की गई है। वक्त बहस अधिवक्ता वादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यू– 2016 पेज 65, आर आर टी 2008(151), आर आर टी 2015(1214) राज0हा0कोर्ट, तथा आर आर टी 20105 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। बहस में निवेदन किया कि स्टेटस प्रमाणित नहीं। आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, खेवट नं. 20, 1993 से एक वर्ष पूर्व , 2021 स्वतः रहनमुक्त संवत 2022 में सेटलमेन्ट हुआ ,घोषणा के वाद पत्र प्रस्तुत करने की कोई लिमिट नहीं होती है। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि जो कि जयचंद के खातेदारी की भूमि थी भूमि पर जयचंद व उनके बाद उँकार का कब्जा काश्त लगातार ही रहा है। बयान पी.डब्ल्यू– 1 द्वारा भी स्वीकार किया गया, कब्जे पर जिरह नहीं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा नहीं ला सकते है, वर्णित भूमि का जीवित रहते विक्रय किया गया है, प्रदर्श–3 का अवलोकन फरमावें। दावे में भूमि रहन का हवाला नहीं दिया गया, एकलिंग दास के खाते की या बनियानी वाला खेत क्यो, भूमि क्रय का पता नहीं जोधा खेत की बुवाई करता पता नहीं, सैलडीड का वादपत्र मे वर्णन नहीं किया है। डी.डब्ल्यू. 2 खरीद कब्जा का विवरण दिया है, एक तरफा स्थगन में सम्मन तामील कब हुए पता नहीं है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में तथ्यो को छुपाते हुए दावा प्रस्तुत किया है, भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण का है, भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी के पूर्वजो की भूमि होकर लगातार खाते में अंकित होकर प्रतिवादी का कब्जा काश्त रहा है। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने एवं दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन किये जाने तथा बहस के दौरान प्रस्तुत सभी न्यायिक उद्रण का गहन अध्ययन किये जाने के पश्चात पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय दस्तावेज का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा यह वाद अपने नाना की सम्पति यानि मातृत्व सम्पत्ति में अपना नाम घोषित कराये जाने के लिए किया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने के लिए इस दावा पत्रावली मे जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनका उल्लेख करते हुए उनके आधार पर ही इस तनकी का निर्णय किया जा रहा है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमावंदी मौजा आंवलहेडा की संवत 2068 की जमावंदी में दर्ज आराजी संख्या 68, 189मी, 253, 285, 558, 594, 931, 936 व 1530 कीता–9 कुल रकवा 4.3780 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री उंकार पिता जयचन्द कुम्हार सा.देह दर्ज होकर जमावंदी में नोट अंकित है कि नामान्तरण संख्या 1359 दिनांक 20.03.2015 विक्रय से आराजी संख्या 285 रकबा 0.4370 हैक्टर भूमि ऐजनबाई पत्नि मांगीलाल धकाड के नाम दर्ज हुई है। तथा नामा0सं0 1385 दिनांक 6.07.2015 से आराजी नम्बर 68 रकबा 0.7850 हैक्टर सम्पूर्ण अशोक कुमार पिता रामेश्वरलाल सा.रामनगर उर्फ तारापीपली दिनेश कुमार पिता लालुराम धाकड सा. श्रीनगर हि. ब. खतेदार दर्ज हुआ है। उक्त जमाबंदी प्रदर्श– 1 होकर शामिल पत्रावली है, उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में से आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर के लिए ही यह दावा लाया गया है। उक्त जमाबंदी से स्पष्ट है कि वाद वर्णित कृषि भूमि जो कि श्री उंकार पिता जयचन्द कुम्हार की आराजी थी जिसे उन्होने अशोक कुमार पिता रामेश्वरलाल सा. रामनगर उर्फ तारापीपली दिनेश कुमार पिता लालुराम धाकड सा. श्रीनगर हि. ब. से पंजीकृत विक्रय किया जो उनके नाम पर आराजी जरिये नामा.सं. 1385 दिनांक 6.07.2015 से उनके नाम दर्ज की गई है।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श– 2 जो कि नकल निर्णय दिनांक 31.07.2024 जो न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बेगूँ जिला चितौडगढ के प्रकरण संख्या 25/2021 की नकल है उक्त दावा वादीगण देवीलाल पिता हरिराम व नानालाल पिता हरिराम द्वारा श्री उँकार पिता जयचन्द, अशोक कुमार व दिनेश कुमार एवं उपपंजीयक तहसीलदार बेगूँ पर किया गया था उक्त वाद पत्र श्री उँकार द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा आंवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि को विक्रय श्री अशोक कुमार व दिनेश कुमार किया जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से किया था उसे निरस्त कराये जाने हेतु किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2024 को वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया तथा ग्राम आंवलहेडा की आराजी संख्या 68 जिसके साबिक नंबर 81 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या एक की ओर से दिनांक 07.07.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत विकय्र पत्र को निरस्त घोषित किया जाने का आदेश दिया गया है। यानि जो विक्रय खतेदार श्री उँकार द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय श्री अशोक व दिनेश को किया गया था वह निरस्त किया गया है।

पत्रावली मे प्रस्तुत प्रदर्श– 3 नकल खसरा मौजा आंवलहेडा तहसील जावद संवत 1993 की नकल है जिसमें गत आराजी संख्या 81 रकबा 4बीघा 06 बिस्वा भूमि के मालिक के रूप में जोधा वल्द नान जी कोम धाकड सा.देह मु.खे.र.राहीन नंन्दलाल पी.मु. एकलींग दास का अंकन किया हुआ है, उक्त खसरे में बनीयानी वालो का लिखा हुआ है। उक्त आराजी महाजन को गिरवी रखने का कथन प्रतिवादी उँकार अपने बयानो में किया है जिससे यह खेत बनीयानी वाला कहा जाता है, उक्त भूमि को गिरवी किसके द्वारा रखा गया यह तथ्य बयानो में स्पष्ट नहीं है। खसरा गिरदवारी में कृषक के नाम अंकन पूर्व में किया जाता था, यानि जो कृषि कार्य करते थे उस कृषक नाम अंकित किया जाता था, जोधा पिता नानजी खसरा गिरदावरी में कृषक की हैसियत से दर्ज है, वह खातेदार कृषक नहीं है पत्रावली में प्रस्तुत. प्रदर्श–4 जो कि

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

बंध सेटलमेन्ट विभाग की पानडी है उसमें गत आराजी संख्या 81 के नवीन आराजी संख्या रकबा 4बीघा 17 बिस्वा भूमि अंकित है जिसके कॉलम नंम्बर 23 जो " नाम कृपक (गत भूमाप) पिता का नाम जाति निवासी स्थान व श्रेणी कृपक के कॉलम में जयचन्द पिता महादेव कुम्हार सा.देह का नमा लिखा है तथा कॉलम संख्या 24 वर्तमान कृपक में भी जयचन्द पिता महादैव कुम्हार का नाम लिखा होकर उसे गोला किया जाकर मांगीलाल औकार पिता जयचन्द कौम कुम्हार सा.देह खातेदार का नाम अंकित किया हुआ है। जबकि कॉलम नम्बर 25 जो कि नाम उप कृषक मय पिता का नाम जाति व निवास स्थान का विवरण है के कॉलम में जोधा वल्द नानजी धाकड सा.देह का नाम अंकित किया हुआ है। विशेष विवरण मे नोट अंकित किया हुआ है कि आदेश श्रीमान एस,एम साहब से खसरा नम्बर 68, 189,253, 285, 558, 594, 931, 936,1530 पर जयचन्द का नाम खारिज करके मांगीलाल औकार पिता जयचन्द कुम्हार का नाम दर्ज किया गया । इन दस्तावेज से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि मौजा आंवलहेडा की आराजी संख्या 68 जो कि सैटलमेन्ट से पूर्व में भी जयचन्द के नाम पर दर्ज थी तथा वर्तमान सैटलमेन्ट के पश्चात भी जयचन्द के नाम दर्ज करते हुए उनके स्थान पर उनके पुत्र मांगीलाल व औकार के नाम दर्ज की गई है जबकि वादीगण के नाना जोधा पिता नान जी का नाम उपकृषक के रूप में ही दर्ज किया गया है। जहॉ तक प्रदर्श– 3 में अंकन का प्रश्न है उसमें गत आराजी संख्या 81 के गत साविक नम्बर 100 अंकित किये है जिसका कोई रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया है, भूमि का मालिक जोधा वल्द नान जी को अंकित करते हुए भूमि को राहिन नन्दलाल के अंकित किया हुआ है। वैसे भी यह नकल खसरा गिरदावरी की है जो कि रिकोर्ड ऑफ राईट्स नहीं माना जा सकता है, इस प्रदर्श– 3 से वादीगण के नानाजी जोधा इस वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार कृषक नहीं माने जा सकते है। प्रदर्श– 4 मे जोधा पिता नानजी का नाम उपकृषक के रूप में अंकित है जो वर्णित भूमि पर काश्त करते हो तथा वक्त खसरा गिरदावरी में उनका नाम लिखा गया है।

प्रदर्श– 5 जो कि नकल जमाबंदी मौजा आवलहेडा की संवत 2025 से 29 की प्रस्तुत की है उसमें दर्ज आरजी नम्बर 190/2, 192, 239, 248, 232, 237, 251, 255/3, 290, 592, 593, 594, 595, 596/1, 597, 804, 805, 807, 808, 834, 1107, 1108, 1111, 1126, 1187, 1471 कीता–26 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार जोधा पिता नान जी धाकड दर्ज है इसके साथ ही प्रदर्श–5(2) प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 81 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा व आराजी संख्या 1187 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कीता–2 कुल रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा भूमि जिसमें जोधा राहिन नन्ददास पिता मु.ए एकलिंग दास कोम महाजन सा. कदवासा मुर्तहीन अंकित किया हुआ है।इस दस्तावेज में जोधा उक्त भूमि के खातेदार कृषक अंकित नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–6 जो कि भू–प्रबंधक विभाग की नकल खतौनी ग्राम आंवलहेडा की संवत 2028 की है उक्त खतौनी में वर्णित आराजी संख्या 68, 189, 253, 285, 558, 594, 931, 936, 1530 कीता–9 कुल रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो कि मांगीलाल, औंकार पिता जयचन्द कुम्हार सा.देह के खातेदारी में दर्ज है।

दावा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–7 जो कि विकय आराजी की नकल है उक्त विकय पत्र आराजी का उॅकार पिता जयचन्द जी कुम्हार द्वारा श्री अशोक कुमार पिता रामश्वरलाल धाकड व श्री दिनेश कुमार पिता लालूराम धाकड के पक्ष में आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर की भूमि का विकय किया गया था उक्त विकय पत्र को न्यायालय द्वारा निरस्त किया है जिसका उल्लेख हम उपर कर चुके है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–8 जो कि खसरा की नकल है जिसका उल्लेख हम उपर प्रदर्श–3 में कर चुके है। प्रदर्श–9 पत्रावली में भू–प्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग की नकल है जिसमें कृषि आराजी संख्या 558 जिसके गत आराजी संख्या 250, 252मी, 253मी, 255, 263 थे जिसका रकबा 4बीघा 11बिस्वा भूमि तथा वर्तमान आराजी संख्या 594 के गत आराजी नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो कि वर्तमान प्रविष्ठी में उॅकार पिता जयचन्द कुम्हार के नाम दर्ज है तथा गत प्रविष्ठी में जयचन्द वल्द महादैव के नाम पर दर्ज है। उक्त फर्द नोट अंकित किया है कि उॅकार वल्द जयचन्द कुम्हार सा.देह उम्र 18 वर्ष ने हाजीर आकर जीक किया कि मेरे बाप का इन्तकाल हुए 3 वर्ष का अर्सा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

है इसलिए जैर बहस आराजी पर जयचन्द वल्द महादेव कुम्हार के वजाय उँकार वल्द चन्द कुम्हार का नाम खाते में दर्ज कराया जावे।

प्रदर्श–10 जो कि प्रार्थना पत्र संख्या 122/2015 व अनवान देवीलाल वनाम उँकार प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट में न्यायालय का आदेश दिंनाक 26.06.2015 के आदेश की नकल है जिसमें विपक्षी को जरिये अंतरिम अस्थाई निपेधाज्ञा से दिनांक 21.07.2015 तक पावंद किया गया है कि वे मौजा ऑवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकवा 0.7850 हैक्टर भूमि के निरतंर चले आ रहे प्रार्थीगण के उपयेाग उपभेाग एवं कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलंदाजी नही करें भूमि को किसी तरह से खुर्द वुर्द नहीं करें एवं न ही अपने किसी नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदार के माध्यम से ऐसा करावें। प्रदर्श–11जो कि उक्त प्रार्थना पत्र के आदेशिका की नकल है जिसमें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया गया है।

उपरोक्त सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन किये जाने पर पाया जाता है कि वाद वर्णित भूमि जो कि मौजा ऑवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि जो कि भू–प्रबंध पूर्व से ही जयचन्द्र पिता महादैव कुम्हार के खातेदारी की कृषि आराजी होकर उनकी मृत्यु पश्चात उनके पुत्र उँकार पुत्र जयचन्द्र कुम्हार के खाते में दर्ज अंकित की गई है। खातेदार उँकार द्वारा स्थगन होते हुए इस आराजी को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को विक्रय किया गया था लेकिन माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश वेगूँ जिला चितौडगढ द्वारा किये गये पंजीकृत विक्रय विलेख का निरस्त किया जाने का आदेश दिया गया है। इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता है कि वादवर्णित कृषि आराजीयात वादीगण के नाना जोधा पिता नान जी धाकड के खाते की आराजी रही हो, क्यो कि प्रस्तुत दस्तावेज में गत कृषक एवं वर्तमान कृषक में भी खातेदार प्रतिवादी ही दर्ज है, वाद पत्र में अंकित किया गया है कि वादीगण की माता बरजी बाई की मृत्यु लगभग 30–35 वर्ष होना बताया गया है जो कि इस दावे को प्रस्तुत कियेक जाने से पूर्व ही हो चुकी है, जहॉ तक मातृत्व कृषि भूमि में अपना नाम घोषित कराने का प्रश्न है तो माता के नाम भूमि दर्ज हो जाने पर ही उक्त भूमि में माता के वारिसान को अधिकार होता है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि को दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की है, क्यो कि वादीगण के नाना जी जोधा पिता नान जी का नाम उपकृष के रूप में दर्ज है, जबकि भूमि के खातेदार जयचन्द्र पिता महादैव व उनके बाद उनके पुत्र उँकार पुत्र जयचन्द्र कुम्हार का नाम दर्ज है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा जो न्यायिक उद्रण प्रस्तुत किये है उनमें आर आर टी 2013 पेज 227 में रेकोर्डेड खातेदार कृषक थे को भून्प्रबंध विभाग द्वारा किये गये परिवर्तन बिना अधिकारिता के है, यह न्यायिक उद्रण इस वाद पत्र मे चस्पा नहीं होता है क्यो कि भू–प्रबंध विभाग की कोई त्रुटि दस्तावेज में नहीं है। साथ ही आर आर टी 2001 पेज 244–245 , आर. आर.टी. 2015 पेज 1214भी सेटलमेन्ट द्वारा अनाधिकृत रद्दोबदल के लिए है, जो इस वाद पत्र पर चस्पा नहीं होती है। वादीगण ने ऐसा कोई न्यायिक सिद्धान्त हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है कि मातृत्व सम्पत्ति में माता का नाम उसके पिता की कृषि भूमि में दर्ज हुए बिना ही उसके वारिसान को उनके नाना की कृषि आराजी में नाम घोषित कराने का अधिकार होता है।

इस प्रकार प्रस्तुत सभी दस्तोवज के गहन अवलोकन एवं इन पर मनन किये जाने पर पाया जाता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि मौजा आंवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि जो कि प्रतिवादी जयचन्द्र पुत्र महादैव कुम्हार के खातेदारी की भूमि है व उनके पश्चात इस भूमि पर उँकार पिता जयचन्द्र के नाम उक्त भूमि अंकित है जो कि भू–प्रबंन्ध पूर्व से ही प्रतिवादी की कृषि भूमि होना सिद्ध होता है, यह भूमि प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादीगण के नाना जोधा पिता नान जी के खाते की भूमि नहीं होने से वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम पर खातेदार हक से दर्ज कराने के अधिकारी नहीं पाये जाते है, साथ ही वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी के खाते की भूमि है तो किसी भी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी भी वादीगण नहीं पाये जाते है। इस प्रकार दस्तोवज साक्ष्य सबूत के आधार पर यह तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण बहस प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगूँ (चित्तौड़गढ़)

तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 का है। इस पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय जो किया गया है उसमें वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा ऑवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रतिवादी का होना सही माना गया है, जहॉ तक वर्णित कृषि आराजी पर कब्जा काश्त का प्रश्न है तो खातेदार उॅकार पिता जयचन्द्र कुम्हार खातेदार का ही कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को किया गया था, जो वाद में न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, लेकिन जहॉ तक कब्जे काश्त का प्रश्न है तो वादीगण ने ऐसा कोई ठोस सबूत इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किया है जो कि यह सिद्ध करता हो कि वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त भी वादीगण का ही प्रारम्भ से ही चला आ रहा हो। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 वर्णित भूमि के खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने का अधिकार वादीगण नहीं रखते है। इस प्रकार यह तनकी संख्या 2 बहक प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

3– तनकी नम्बर 3 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का है, जैसा कि प्रकरण में कायम की गई तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय विरूद्ध वादीगण के किया गया है क्यो कि वाद वर्णित कृषि भूमि मौजा ऑवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि जो कि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी की कृषि भूमि है जो कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 4 व 5 को विक्रय किया गया था जो कि माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बेगूॅ जिला चितौडगढ ने उनके निर्णय में पंजीकृत विक्रय का निरस्त किया है। जहॉ तक प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त का प्रश्न है तो तनकी नम्बर 2 में स्पष्ट किया है कि वादीगण ने उनके कब्जे काश्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि प्रतिवादी खातेदार है उनका कब्जा काश्त उनके खातेदारी की भूमि पर लगातार रहा है। चूॅकि न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बेगूॅ जिला चितौडगढ द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय विलेख का निरस्त कर दिया है, वर्तमान में भी कृषि भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं.1 है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 के दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से निर्णित किया गया है जिसमें वर्णित भूमि को वादीगण अपने खातेदारी में दर्ज कराने की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 3 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार वाद पत्र मे प्रस्तुत सभी दस्तोवज साक्ष्य के आधार पर तनकी संख्या 1 सें 3 तक का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाने से वाद वर्णित कृषि भूमि मौजा ऑवलहेडा की आराजी संख्या 68 रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि को वादीगण अपने नाम पर खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.025.2026 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 82/2015

1. देवीलाल पिता हरिराम जाति धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ
2. नानालाल पिता हरिराम जाति धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्री उँकार पिता जयचन्द जाति धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय , चितौडगढ़
3. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
4. श्री अशोक कुमार पिता रामेश्वरलाल जाति धाकड निवासी रामनगर तारापीपली
5. श्री दिनेश कुमार पिता लालूराम जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88–188 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट की उपास्थिती में वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 26.02.2026 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सत्यमेव जयते